



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को कुल 12 हजार रुपये जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को कुल 12 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है -

अभियोग-

1. थाना तिंदवारी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 122/23 धारा 60 आबकारी अधि0 के अभियुक्त मलखान उर्फ बबलू पुत्र शिवबहादुर निवासी बेंदा थाना तिंदवारी जनपद बांदा को कुल 7000/ रुपये के जुर्माने दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 754/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के अभियुक्त बच्ची लाल पुत्र बब्बू निवासी खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 5000/ रुपये के जुर्माने दण्डित कराया गया ।